# राजस्थान सरकार
## ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(255)ग्राविवि–5/MIS /विविध/2018–19 जयपुर, दिनांक / ~~अप्रैल~~ मई, 2019

**मुख्य कार्यकारी अधिकारी,**
**जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.),**
**जिला समस्त, राजस्थान।**

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत SECC-2011 डाटा में लाभार्थी के विवरण में संशोधन तथा लाभार्थी की मृत्यु की स्थिति परिवार के सदस्यों के नाम जोडे जाकर खाता परिवर्तन के संबंध में।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार SECC-2011 के आधार पर उनके द्वारा निर्धारित 13 पैरामीटरों के आधार पर तैयार करवाये गये डाटा को आधार मानकर ग्राम सभा, ब्लॉक स्तरीय अपीलेट कमेटी व जिला स्तरीय क्रियान्वयन, निगरानी, समन्वयन एवं अपीलेट समिति से अनुमोदन उपरांत आवाससॉफ्ट पर स्थायी वरीयता सूची अपलोड की गई है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सैक–2011 के डाटा में लाभार्थी का नाम, परिवार के सदस्यों के नाम, आयु, वर्ग इत्यादि जोडे जाने तथा एडिटिंग किये जाने का विकल्प राज्य स्तर पर "SECC Digitisation Errors Module" द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

उक्त क्रम में लेख है कि अन्तर्गत SECC-2011 डाटा में लाभार्थी के नाम इत्यादि में संशोधन तथा लाभार्थी की मृत्यु की स्थिति परिवार के सदस्यों के नाम जोडे जाकर खाता परिवर्तन के संबंध में संलग्न प्रारूप के साथ आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रकरण विभाग को प्रेषित किये जावें।

**संलग्न : उपरोक्तानुसार**

**(राजेश्वर सिंह)**
**अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविव**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–
1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रावि ।
3. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. जिला कलक्टर, जिला समस्त।

**स्टेट नोडल अधिकारी**–PMAY-G

G:\MS Word\Others.docx

# कार्यालय जिला परिषद.........................................

**SECC-2011 डाटा में लाभार्थी के विवरण में संशोधन तथा लाभार्थी की मृत्यु की स्थिति में परिवार के सदस्यों के नाम जोडे जाकर खाता परिवर्तन के संबंध में**

## प्रमाण पत्र

**PMAY-G ID / SECC ID ------------------------------------**

श्री / श्रीमति / सुश्री.........................................(पुत्र / पुत्री / पत्नी) श्री .................................... निवासी ग्राम....................................................... ग्राम पचांयत.................................................... पंचायत समिति.......................................... जिला ..................................... को उपरोक्त आई.डी से आवास स्वीकृत / प्रथम किश्त / द्वितीय किश्त तक भुगतान किया जा चुका है।

SECC-2011 डाटा में निम्नानुसार लाभार्थी के विवरण में संशोधन किया जाना है या लाभार्थी की मृत्यु उपरांत परिवार के निम्न सदस्यों का नाम जोडा जाना है तथा श्री / श्रीमति / सुश्री........................... के नाम का खाता संख्या.................................. संशाधित किया जाना है–

| क्र. स. | नाम | पिता का नाम | माता का नाम | जन्म तिथि | लाभार्थी से संबंध | वर्ग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

उक्त संशोधन हेतु आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर प्रेषित है –

1. लाभार्थी के नाम व अन्य विवरण में संशोधन हेतु ( लाभार्थी का आधार कार्ड / बैंक पास बुक / पैन कार्ड / नरेगा जॉब कार्ड / भामाशाह कार्ड / राशन कार्ड / अन्य)

| संलग्न दस्तावेजों की संख्या | विवरण |
|---|---|
| | |
| | |

2. परिवार के सदस्यों के नाम जोडे जाने हेतु (लाभार्थी का मृत्यु प्रमाण पत्र (मृत्यु की स्थिति में) पारिवारिक सदस्य का प्रमाण पत्र –नरेगा जॉब कार्ड / भामाशाह कार्ड / राशन कार्ड / अन्य तथा संशोधित खाते हेतु बैंक पास बुक की प्रति)

| संलग्न दस्तावेजों की संख्या | विवरण |
|---|---|
| | |
| | |

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद.............................................

G:\MS Word\Others.docx